



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272139
CG-DL-E-29042026-272139

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1979]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948

No. 1979]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2026

का.आ. 2052(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, ऐसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना भी दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिस तारीख को इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् ही विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे इस प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति है या वह सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्र सरकार के द्वारा विचार किए जाने के लिए, ऐसी आपत्ति या सुझाव को सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र (जीएचएनपीसीए), जो 905.4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (754.40 वर्ग किलोमीटर), सैंज वन्यजीव अभयारण्य (90 वर्ग किलोमीटर) और तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य (61 वर्ग किलोमीटर) सम्मिलित हैं, और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार उप-मंडल में स्थित है;

और जबकि उच्च अल्पाइन चोटियों, अल्पाइन घास के मैदानों और नदी-तटीय जंगलों से सुशोभित ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र को 25 जून, 2014 को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया था और इसमें 128 परिवारों, 427 प्रकार और 832 पौधों की प्रजातियों (एंजियोस्पर्म - 794 प्रजातियां, जिम्नोस्पर्म - 11 प्रजातियां और फर्न - 27 प्रजातियां) सहित समृद्ध वनस्पति विविधता पाई जाती है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत 47 औषधीय पौधों की प्रजातियों में से 34 का आवास स्थल है (कमजोर - 12, लुप्तप्राय - 17 और गंभीर रूप से लुप्तप्राय - 5), पिछले दशक में किए गए जैव विविधता सर्वेक्षणों में 31 स्तनधारी प्रजातियां, 224 पक्षी प्रजातियां, 12 सरीसृप प्रजातियां, 9 उभयचर प्रजातियां और 125 कीट प्रजातियां दर्ज की गई हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण स्थानिक पक्षी क्षेत्रों (इबीए- डी 02: पश्चिमी हिमालय) में से एक के अधीन आता है, जहां 224 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं;

और जबकि यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख जीव-जंतु और वनस्पति प्रतीकों, जैसे कि *ट्रैगोपैन मेलानोसेफालस* (राज्य पक्षी - पश्चिमी ट्रैगोपैन), *पेंथेरा उनसिया* (राज्य पशु - हिम तेंदुआ), *रोडोडेंड्रोन कैम्पेनुलेटम* (राज्य फूल - गुलाबी रोडोडेंड्रोन) और *सेड्रस डियोडारा* (राज्य वृक्ष - देवदार) का आवास है, और पश्चिमी ट्रैगोपैन की कुल जंगली आबादी का लगभग 10 प्रतिशत ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र (जीएचएनपीसीए) में निवास करता है;

और जबकि इन संरक्षित क्षेत्रों में दर्ज की गई विभिन्न वनस्पति प्रजातियों में देवदार (*सेड्रस देवदारा*), ब्लू पाइन (*पीनस वालिचियाना*), चिर पाइन (*पीनस रॉक्सबर्गी*), हिमालयन स्प्रूस (*पिका स्मिथियाना*), फ़िर (*एबिस पिंड्रो*), राखल (*टैक्सस बकाटा*), मोहरू (*क्वेरकस डिलाटाटा*), खारशु (*क्यू. सेमेकार्पिफोलिया*), बंज (*क्यू. ल्यूकोट्राइकोफोरा*), हॉर्स चेस्टनट (*एस्कलस इंडिका*), अखरोट (*जुग्लंस रेजिया*), कोश (*अलनस नेपलेंसिस*), बुरांश (*रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम*), गुलाबी बुरांश (*आर. कैपानुलैटम*), हिमालयन पोपलर (*पापुलस सिलियाटा*), इलेक्स डिपाइरेना, सोरबेरिया टोमेंटोसा, प्रिंसेपिया यूटिलिस, अरंडिनारिया फाल्काटा, कोरीलस जैक्रेमोंटी, आइरिस लैक्टिया, सरकोकोका सालिग्रा, कार्पिनस विमिनिया, बर्बेरिस लिथियम, बी. अरिस्टाटा, विबर्नम एसपीपी., एसर एसपीपी., हिप्पोफे एसपीपी., वेलेरियाना जटामांसी, डैक्टीलोरिज़ा हैटागिरिया, टैक्सस बकाटा, लेसेस्टेरिया फॉर्मोसा, आदि सम्मिलित हैं;

और जबकि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जीव-जंतु प्रजातियों, जिनमें कई लुप्तप्राय और हिमालयी स्थानिक प्रजातियाँ सम्मिलित हैं, में हिम तेंदुआ (*पेंथेरा अन्सिया*), सामान्य तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), हिमालयन सीरो (*मकरराशि सुमाट्राएन्सिस थार*), हिमालयन तहर (*हेमित्रगस जेस्लाहिकस*), गोरल (*नेमोरहेडस गोरल*), काला भालू (*उर्सस थिबेटानस*), कस्तूरी मृग (*मोस्कस मोस्चिफेरा*), भूरा भालू (*उर्सस आर्कटोस*), हिमालयन येलो थ्रोटेड मार्टेन (*मार्टेस फ्लेविगुला*), बंदर (*मकाका मुलता*), लंगूर (*सेमनोपिथेकस अजाक्स*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), ब्लू शीप (*स्यूडोइस नायौर*), रेड फॉक्स (*वुल्फ्स वल्फ्स*), जाइंट भारतीय उड़न गिलहरी (*पेटौरिस्टा फ़िलिपेंसिस*), वेस्टर्न ट्रैगोपैन (*ट्रैगोपैन मेलानोसेफालस*), चीयर (*कैट्रेस वालिची*), मोनाल (*लोफोफ़ोरस इम्पेजेनस*), कोकलास (*पुक्रेसिया मैक्रोलोफा*), कालिज (*लोफुरा ल्यूकोमेलाना*), रेड जंगल फाउल (*गैलस गैलस*), स्नो पार्ट्रिज (*लेरवा लेरवा*), हिल पार्ट्रिज (*आर्बरोफिला टॉर्कोला*), हिमालयन स्नोकोक (*टेट्रागैलस हिमालयेंसिस*), व्हाइट-ब्रोड शॉर्टविंग (*ब्रैचिप्टेरिक्स मोंटाना*), लिटिल पाइड फ्लाईकैचर (*फाइसिडुला वेस्टरमनी*), रूफस-वेंटेड टिट (*पारस रुबिडिवेंटिस*), यूरेशियन वुडकॉक (*स्कोलोपैक्स रस्टिकोला*), हिमालयन ग्रिफॉन (*जिप्स हिमालयेंसिस*), लैमर्जियर (*जिपेटस बारबेटस*), गोल्डन ईगल (*एक्विला क्राइसेटोस*), कॉमन बज़र्ड (*ब्यूटियो*

ब्यूटियो), यूरेशियन स्पैरोहॉक (एक्सीपीटर निसस), पपड़ीदार पेट वाला कठफोड़वा (पिकस स्क्वामैटस), हिमालयन वुडपेकर (डेन्ट्रोकोपोस हिमालयेन्सिस), ग्रेट बारबेट (मेगालाइमा विरेन्स), कॉलरड आउलेट (ग्लौसीडियम ब्रोडिसी), टैनी आउल (स्ट्रिक्स एलुको), माउंटेन स्कॉप्स-आउल (ओटस स्पिलोसेफालस), यूरेशियन हूपो (उपुपा एपोप्स) आदि सम्मिलित हैं;

और जबकि इस अधिसूचना के अनुच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र, विस्तार और सीमा को पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग तथा उनके संचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, सैंज और तीर्थन वन्यजीव अभयारण्यों की सीमा के आसपास 0 से 10.63 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसके बाद पारिस्थितिकी-संवेदी जोन कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1. **पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार एवं सीमाएँ.**— (1) 326.6985 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार 0 से 10.63 किलोमीटर तक होगा। कनवार और रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्यों, पिन घाटी और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साझा सीमा के कारण 0 किलोमीटर का विस्तार प्रस्तावित किया गया है। पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

उत्तर	0 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	0 किलोमीटर
पूर्व	0 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	1 किलोमीटर
दक्षिण	1 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	10.63 किलोमीटर
पश्चिम	9.56 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	2.77 किलोमीटर

(2) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का मानचित्र, सीमा विवरण सहित, **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

(4) संरक्षित क्षेत्रों और उसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भौगोलिक निर्देशांक **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाले 187 गांवों की सूची **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन तथा केंद्रीय और राज्य विधानों के सुसंगत और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोणों को एकीकृत किया जा सके.-

- i. पर्यावरण;
- ii. वन और वन्यजीव;
- iii. शहरी विकास;
- iv. ग्रामीण विकास;
- v. पर्यटन;
- vi. राजस्व;
- vii. कृषि;
- viii. पशुपालन;
- ix. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- x. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- xi. नगरपालिका और पंचायती राज;
- xii. लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, तथा आंचलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, में वृक्षहीन क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का प्रावधान किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा, सहायक मानचित्रों के साथ जिनमें विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के व्यौरों का निर्धारण किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास का विनियमित किया जाएगा और पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसका संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपाबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए निगरानी समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. - (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि, मॉनीटरिंग समिति की सिफारिश पर केंद्र तथा राज्य सरकार के शहरी नियोजन अधिनियम तथा अन्य नियमों एवं विनियमों यथा लागू, के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुमति दी गई है, जैसे,-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीनीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 के मद में यथा उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 या अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) सहित वर्तमान में लागू विधियों के उपबंधों के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के किसी भी उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मॉनीटरिंग समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुनः वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक झरनों/नदियों/चैनलों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे जिससे इन क्षेत्रों में या इनके आसपास विकास के ऐसे क्रियाकलापों पर रोक लगाई जा सके जो इन क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों।

(3) पर्यटन या पारि-पर्यटन - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारि-पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा केरल सरकार के राजस्व एवं वन विभाग के परामर्श से तैयार किया जाएगा;

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का घटक होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारि-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्: -

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किमी. के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी पास हो, होटलों और रिज़ॉर्ट्स के नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किमी. की दूरी के बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिज़ॉर्ट रिज़ॉर्ट्स की स्थापना की अनुमति आंचलिक महायोजना के अनुसार केवल पारि-पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और नामित क्षेत्रों में ही दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणों द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर संशोधित) के अधीन होगा, जिसमें पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता अध्ययन के आधार पर पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास पर जोर दिया जाएगा;

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा स्थल विशिष्ट जांच और निगरानी समितियों की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिज़ॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व की इमारतों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्र और परिसरों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके संशोधनों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम और उसके संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिस्साव का निस्सरण** - पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उपचारित बहिस्साव का निस्सरण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा पर्यावरण अधिनियम 1986 और उसके तहत बनाए गए नियमों, पर्यावरण प्रदूषकों के निस्सरण के सामान्य मानकों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, इनमें से जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अधीन होगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा, -
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या

का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर चिन्हित स्थल पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए, विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) करने की अनुमति दी जा सकती है।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए, विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) करने की अनुमति दी जा सकती है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन** -पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित; अधिसूचना संख्या सा.का.नि.340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा;

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन** - पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा;

(13) **ई-अपशिष्ट** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथासंशोधित; ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अधीन किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात** - सड़क-यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण** - वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधनों जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (पीएनजी), आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां** .-(क) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण** -पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन निर्मित नियमों तथा पर्यावरण, वन और वन्यजीवों से संबंधित भारत सरकार की अन्य अधिसूचनाओं, विधियों और अधिनियमों द्वारा शासित होंगे, जो पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तारीख 14 सितंबर, 2006 को संख्या 1533(अ) के अधीन जारी की गई थीं, तथा जिन्हें समय-समय पर लागू विधियों द्वारा, समय-समय पर संशोधित, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट किया गया है अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणियां (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, और क्रशिंग इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय सभी नए और विद्यमान (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयों को तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध किया जाता है। (ख) खनन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश (टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 202/1995) और तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश (गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में, लोकहित याचिका संख्या 435/2012); और आईए संख्या 1000 वर्ष 2003 तारीख 03 जून, 2022। आईए संख्या 131377 वर्ष 2022, तारीख 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के निर्णय और आईए संख्या 162023, 162034, 162154 और 162155 वर्ष 2025 में तारीख 23 जुलाई 2025 के बाद के निर्णय या खनन के संबंध में कोई और आदेश के अनुसार किए जाएंगे।

2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। विद्यमान उद्योगों को प्रदूषण निवारण तकनीक और ध्वनि अवरोधक लगाने होंगे।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों को बहाना/प्रवाहित करना।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएगी: बशर्ते, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी: बशर्ते, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उपविधियों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में उल्लिखित क्रियाकलापों सहित स्थानीय लोगों को उनके उपयोग के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी, इसका उपयोग आतिथ्य सरकार संयोजनों (होटलों, होमस्टे तथा रिजॉर्ट) के लिए नहीं किया जाना चाहिए: बशर्ते यह भी कि, गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों यदि, कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर के परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अपनी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम

		प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। (ख) वृक्षों की कटाई सम्बद्ध केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा) भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अधीन शमन उपाय किए जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलापों जैसे वायुयान, हॉट एयर बैलून, हेलिकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ने के क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में मोटर यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
20.	फर्मों, कंपनियों, कॉर्पोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों इत्यादि की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का जल निकायों में निस्सारण नहीं होने दिया जायेगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पारिस्थितिकी- पर्यटन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	होटलों और लॉजों के परिसर की बाड़बंदी	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	वायु, वाहन और ध्वनि प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा व ईंधन का प्रयोग।	जैविक गैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	खराब भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति.- केन्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

क्रम संख्या	निगरानी समिति के सदस्य	पदनाम
1.	संबंधित वन क्षेत्र के वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक	अध्यक्ष, पदेन;
2.	हिमाचल प्रदेश सरकार हर तीन वर्ष में समय समय पर पर्यावरण अथवा वन्यजीव- (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी संगठन के प्रतिनिधि को - नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
3.	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हर तीन वर्ष में समय समय पर किसी प्रतिष्ठित संस्थान - या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
4.	जिला अधिकारी, नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग	सदस्यपदेन ,;
5.	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर योजनाकार	सदस्यपदेन ,;
6.	हिमाचल प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्यपदेन ,;
7.	हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्यपदेन ,;
8.	हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्यपदेन ,;
9.	सम्बद्ध वन मंडल के वन मंडलाधिकारी	सदस्यसचिव-, पदेन;

6. निगरानी समिति के कार्य:- (1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर, का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, जिसमें पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तथा जो उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को संदर्भित की गई हों, की संवीक्षा करेगी।

(2) निगरानी समिति, सं. का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 द्वारा तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाली, किन्तु इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को संदर्भित क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर संवीक्षा करेगी।

(3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

(4) निगरानी समिति मामला-दर-मामला आधार पर आवश्यकताओं के आधार पर अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों या संबंधित पणधारियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अवधि के लिए अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को इस अधिसूचना से संलग्न **अनुलग्नक -V** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्र सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय आदि के आदेश- इस अधिसूचना के उपाबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/13/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलगनक-I

ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

1. **उत्तर:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा भू-निर्देशांक पू 077029'52.200" और उ 31055'30.187" से भू-निर्देशांक पू 077025'57.227" और उ 31055'3.618" तक 1 किमी की चौड़ाई में फैली हुई है, इसके बाद कनवार वन्यजीव अभयारण्य के साथ निरंतरता टूट जाती है और आगे भू-निर्देशांक पू 077024'28.678" और उ 31054'4.550" से लेकर उत्तर-पश्चिम में पार्वती डिवीजन में 1 किमी की चौड़ाई में निर्देशांक पू 077021'29.502" और उ 31051'40.371" तक फैली हुई है। इसके बाद सीमा उत्तर-पश्चिम में भौगोलिक निर्देशांक पू 077017'17.043" और 31048'44.208" तक जाती है।
2. **पूर्व:-** पूर्वी मोर्चे पर, यह क्षेत्र पूरी तरह से पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य को छूता है। दक्षिण-पूर्वी भाग में, रामपुर वन प्रभाग में, एक किलोमीटर चौड़ी पारिस्थितिकी संवेदी जोन पट्टी भौगोलिक निर्देशांक पू 077045'24.237" और उ 31042'29.738", पू 077041'9.511" और उ 31041'41.627" का अनुसरण करती है और फिर पू 077039'31.210" और उ 31039'34.734" तक जाती है।
3. **दक्षिण:-** दक्षिण में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा दक्षिण-पूर्व में भू-निर्देशांक पू 077039'31.210" और उ 31039'34.734" से शुरू होकर तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण में पू 077032'45.024" और उ 31034'57.572" से होते हुए दक्षिण-पश्चिम में भू-निर्देशांक पू 077024'47.841" और उ 31035'7.520" तक जाती है।
4. **पश्चिम:-** पश्चिम में सीमा भौगोलिक निर्देशांक पू 077020'21.405" और उ 31046'52.745" से होते हुए निर्देशांक पू 077020'43.303" और उ 31044'27.864" से गुजरती है और फिर पू 077023'4.745" और उ 31039'50.923" तथा पू 077022'45.104" और उ 31038'44.025" से होते हुए दक्षिण-पश्चिम में भौगोलिक निर्देशांक पू 077024'47.841" और उ 31035'7.520" तक जाती है।

भौतिक विशेषताएं:

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण:

मण्डल	क्र. स.	प्रकार	वन का नाम	खंड	क्षेत्र (वर्ग किमी.)
जीएचएनपी	1	आरएफ	आर/16 गट्टीपाट	Ia, Ib, II	1.9343
	2		आर/4 कंधारी	Ia, Ib, IIa, IIb	2.3824
	3		आर/7 देव कांडा	Ia, Ib, Ic, II	2.6548
	4		आर/5 शोचली	I, II	0.9226
				उप योग	7.8941
	1	डीपीएफ प्रथम श्रेणी वन	1/44 सारंघर	I, II, III	1.02

	2		1/45 थानौहर	Iए, Iबी, II	4.9089
	3		1/48 रतिना	पूर्ण	0.5989
	4		1/49 तांदीधार	I, II, III	1.7118
	5		1/50 चनियार	I, II, IIIए, IIIबी, IV	1.3112
	6		1/51 सोरीबिर	पूर्ण	0.1457
	7		1/52 डोलनु	Iए, Iबी, II	4.6902
	8		1/34 दशमनी	Iए, Iबी, II	2.4403
	9		1/46 पनुधर	पूर्ण	0.5342
	10		1/47 रंगा	I, II	0.7689
	11		1/48 आओटीधार	I, II	6.3941
	12		1/31 चलोरी	Iएi, Iएii, Ib, IIए, IIबीi, IIबीii, IIबीiii, IIबीiv, IIबीv	3.1201
	13		1/32 डिमरू	Iए, Iबी, II	1.8818
	14		1/33 बिमु	Iएi, Iएii, Iबी, IIए, IIबी	1.7604
				उप योग	31.2865
	1	डीपीएफ द्वितीय श्रेणी वन	2/24 तिवा	पूर्ण	6.4103
	2		2/25 मैडरौन	पूर्ण	5.6818
	3		2/26 द्रशर	पूर्ण	8.6657
	4		2/29 सावनकांडा	पूर्ण	9.3727
	5		2/41 हरिनाल	I, IIए, IIबी, IIसी, IIडी, IIइ	5.3378
	6		2/42 जगनाहु	I, IIए, IIबी, IIसी, IIडी, IIइ, IIएफ, IIजी, IIएच, IIआई, IIजे	8.1342
	7		2/43 मंदराची	Iए, Iबी, Iसी, Iडी, IIए, IIबी, IIसी, IIडी, IIइ, III	8.0937
	8		2/44 सारकलाओं	Iए, Iबी, IIए, IIबी, IIसी	2.6751

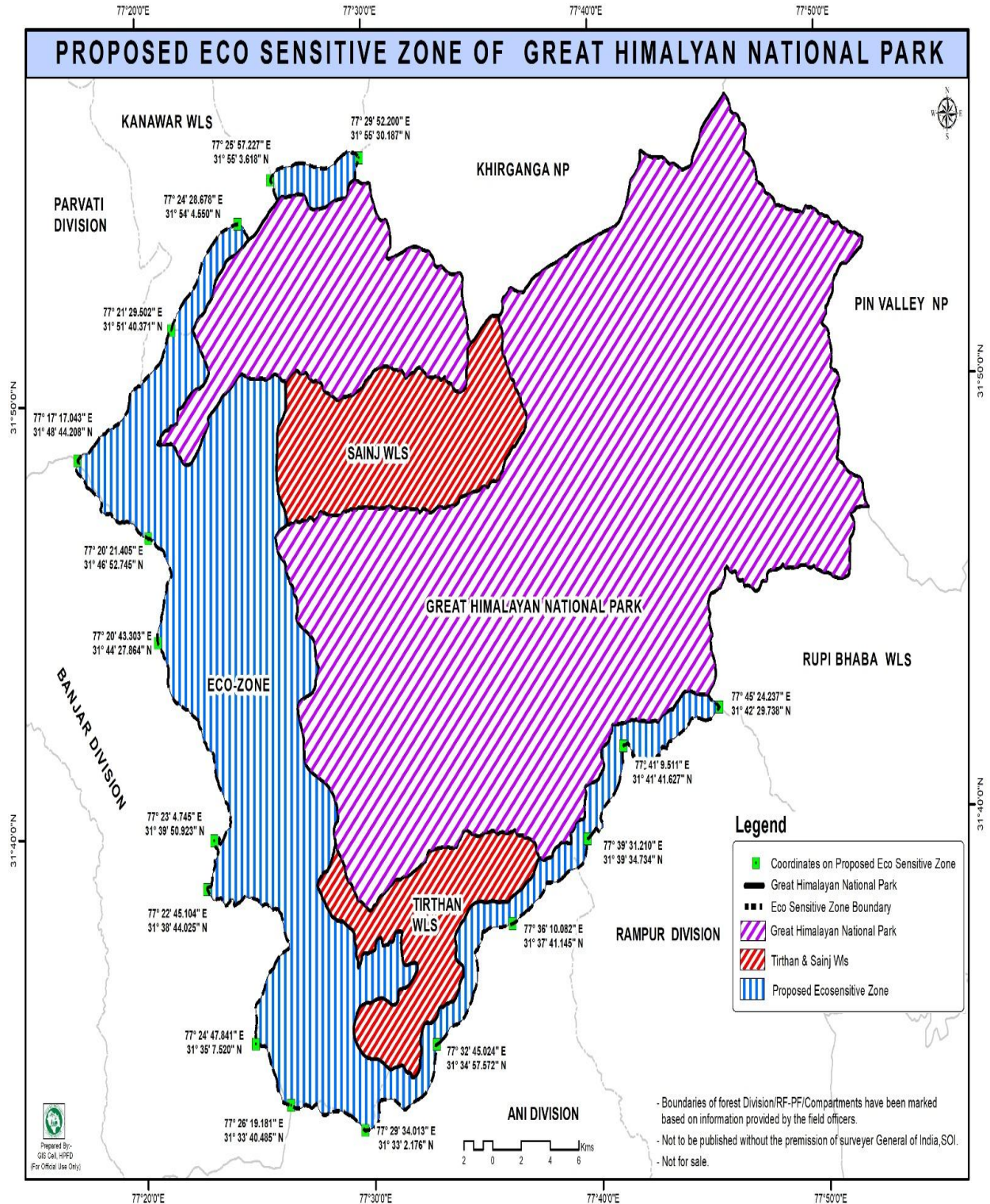
	9		2/45 तीसपुर	Iए, Iबी, Iसी, Iडी, Iइ, Iएफ, IIए, IIबी, IIसी, IIडी, IIइ, IIएफ, III, IV	14.1883
	10		2/26 खानिनाल	Iए, Iबी, II	1.7846
	11		2/27 गुनीनल	Iए, Iबी, II	2.1731
	12		2/28 कुलची	Iए, Iबी, Iसी, II	2.8328
	13		2/29 मलोरा	पूर्ण	1.8656
	14		2/30 कचिंगा	पूर्ण	3.9539
	15		2/31 दुपांगा	पूर्ण	0.4006
	16		2/32 खरशॉट	पूर्ण	1.295
	17		2/30 गांडिओल	पूर्ण	10.538
	18		2/31 नन्ति-कला	पूर्ण	1.0926
			2/16 भुंजत	Iए, Iबी, II, III, IV	3.8323
			2/17 शिरदुंगा	Iए, Iएii, Iबीi, Iबीii, Iबीiii, Iबीiv, II	4.4799
			2/18 बंग	पूर्ण	13.5673
				उप योग	116.3753
	1	तृतीय वन श्रेणी	सुचैन		0.2584
	2		रोपा		0.2225
	3		बिरसानगर		0.3237
	4		शांघड		0.2833
	5		कुली		1.3759
	6		टिटहरी		0.9498
	7		बरशांघर		1.1736
	8		धारा		0.9712
	9		लापा		0.8498
	10		कशारी		2.7519
	11		कंधारी		0.5867
	12		पचयारी		2.3885
	13		करैहला		3.885
	14		रियारा		0.8013
	15		पाशी		2.0429
	16		भूपन		0.3237

	17		घाट		0.6531
	18		ढलयारा		1.4164
	19		पेखरीधार		2.2662
	20		सुंगचा		2.3582
	21		बुंगधार		1.6091
	22		कनौन		1.2832
	23		तीर्थन		53.23
	24		बाह		1.4974
	25		मझन		0.8296
	26		मेल		2.3401
	27		गुरौली		0.8498
	28		श्रृंग		0.607
	29		घालयड		1.4974
	30		दाचूटी		3.3588
	31		चिपनी		1.5378
	32		बरेलंगा		0.8093
	33		खारुंगचा		0.768
	34		बठाड		0.607
	35		मशियार		4.2086
	36		फरयादी		2.0706
	37		मनोनी		1.1932
	38		डिंगचा		2.0234
	39		शील		6.070
			सुचैन	उप योग	112.2724
डीएफओ आनी	1	पीएफ	द्वारीडांडा		25.412
			रचोखरी 2/18	सी1 & सी2	1.506 & 1.914
			दादाई 2/17	सी1, सी2 & सी3	2.109, 1.9002 & 2.14
			बनगी 2/16	4	3.619
				उप योग	38.6002
डीएफओ रामपुर	1		डीपीएफ नांती पाट		13.77
				उप योग	13.77
डीएफओ पार्वती	1	पीएफ	2/21 हरग्रेन	सी 4	4
	2	पीएफ	2/6 बंदांग	सी 6	2.5
				उप योग	6.5

	कुल योगफल	326.6985
--	-----------	----------

अनुलग्नक -II

संरक्षित क्षेत्रों और इसके एकीकृत पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



अनुलग्नक-III

सारणी क : ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं,	संकेत बिन्दु	अक्षांश	देशांतर
1	ए	31° 53' 47.904" उ	77° 25' 11.931" पू
2	बी	31° 54' 2.362" उ	77° 31' 1.811" पू
3	सी	31° 51' 44.267" उ	77° 35' 38.542" पू
4	डी	31° 53' 3.908" उ	77° 38' 59.744" पू
5	ई	31° 55' 22.974" उ	77° 42' 16.355" पू
6	एफ	31° 54' 1.169" उ	77° 48' 12.021" पू
7	जी	31° 53' 11.482" उ	77° 52' 2.671" पू
8	एच	31° 49' 56.030" उ	77° 50' 54.614" पू
9	आई	31° 46' 59.014" उ	77° 52' 6.605" पू
10	जे	31° 45' 22.381" उ	77° 50' 39.621" पू
11	के	31° 45' 21.890" उ	77° 47' 33.986" पू
12	एल	31° 44' 9.940" उ	77° 45' 8.325" पू
13	एम	31° 42' 45.845" उ	77° 43' 44.170" पू
14	एन	31° 42' 11.217" उ	77° 40' 40.639" पू
15	ओ	31° 40' 46.994" उ	77° 39' 27.846" पू
16	पी	31° 39' 11.027" उ	77° 37' 22.158" पू
17	क्यू	31° 38' 13.827" उ	77° 35' 18.218" पू
18	आर	31° 34' 14.860" उ	77° 31' 36.953" पू
19	एस	31° 39' 40.862" उ	77° 28' 25.340" पू
20	टी	31° 41' 40.604" उ	77° 27' 6.762" पू
21	यू	31° 44' 24.107" उ	77° 27' 34.683" पू
22	वी	31° 47' 6.143" उ	77° 26' 28.851" पू
23	डब्ल्यू	31° 35' 10.068" उ	77° 29' 8.593" पू
24	एक्स	31° 37' 35.035" उ	77° 31' 18.468" पू
25	वाई	31° 36' 48.504" उ	77° 29' 21.209" पू
26	जेड	31° 38' 43.809" उ	77° 27' 35.712" पू
27	ए1	31° 50' 24.831" उ	77° 26' 29.676" पू
28	ए2	31° 50' 36.179" उ	77° 24' 30.461" पू
29	ए3	31° 49' 3.159" उ	77° 20' 48.766" पू
30	ए4	31° 51' 31.241" उ	77° 22' 32.323" पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	संकेत बिन्दु	अक्षांश	देशांतर
1	ए	31° 42' 29.738" उ	77° 45' 24.237" पू
2	बी	31° 41' 41.627" उ	77° 41' 9.511" पू
3	सी	31° 39' 34.734" उ	77° 39' 31.210" पू
4	डी	31° 34' 57.572" उ	77° 32' 45.024" पू
5	ई	31° 33' 2.176" उ	77° 29' 34.013" पू
6	एफ	31° 33' 40.485" उ	77° 26' 19.181" पू
7	जी	31° 35' 7.520" उ	77° 24' 47.841" पू
8	एच	31° 38' 44.025" उ	77° 22' 45.104" पू
9	आई	31° 39' 50.923" उ	77° 23' 4.745" पू
10	जे	31° 44' 27.864" उ	77° 20' 43.303" पू
11	के	31° 46' 52.745" उ	77° 20' 21.405" पू
12	एल	31° 48' 44.208" उ	77° 17' 17.043" पू
13	एम	31° 38' 46.051" उ	77° 22' 45.141" पू
14	एन	31° 51' 40.371" उ	77° 21' 29.502" पू
15	ओ	31° 54' 4.550" उ	77° 24' 28.678" पू
16	पी	31° 55' 3.618" उ	77° 25' 57.227" पू
17	क्यू	31° 55' 30.187" उ	77° 29' 52.200" पू

अनुलग्नक -IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची और उनके भौगोलिक निर्देशांक

क्र.सं.	सीमा का नाम	खंड का नाम	इलाके का नाम	गाँव का नाम	देशांतर (पूर्व)	अक्षांश (उत्तर)
1	जीवानल	कुंदर	पासी	शरण	77° 18' 10.54"	31° 48' 52.75"
2				पाशी	77° 19' 40.91"	31° 48' 29.52"
3				खन्यारी	77° 19' 56.8"	31° 48' 30.80"
4				खारोंगचा	77° 19' 51.8"	31° 49' 1"

5			नाल्टी	77° 21' 10.97"	31° 48' 9.92"
6			कुंदर	77° 21' 56.68"	31° 50' 6.14"
7			मझन	77° 21' 43.77"	31° 50' 48.38"
8			मझरना	77° 24' 8.77"	31° 49' 24.40"
9		भूपान	भूपान	77° 18' 27.8"	31° 48' 40"
10			शरण	77° 18' 32.01"	31° 48' 22.1"
11			काम्पटन	77° 18' 10.54"	31° 48' 52.75"
12	राइला	न्यूली	न्यूली	77° 22' 55.68"	31° 46' 21.43"
13			धरमेडा	77° 21' 11.05"	31° 46' 25.23"
14			करहिला	77° 20' 10.4"	31° 47' 26.94"
15			ज्यालु	77° 21' 58.11"	31° 46' 24.11"
16			सतेश	77° 22' 28.08"	31° 46' 17.39"
17			अंकुश	77° 22' 56.56"	31° 46' 29.89"
18			केवली	77° 22' 48.83"	31° 46' 24.53"
19			बिहाली	77° 20' 0.09"	31° 47' 37.15"
20			नुनुरिबली	77° 21' 51.60"	31° 46' 3.30"
21		शेंशर	जंगला	77° 23' 23.63"	31° 46' 51.70"
22			सेरी	77° 23' 19.98"	31° 46' 51.16"
23			बंदलू दुआर	77° 23' 15.17"	31° 46' 52.27"
24			भरोगी	77° 23' 1.58"	31° 46' 58.94"
25			रेहडा	77° 23' 11.23"	31° 46' 43.67"
26			रामाहिडी	77° 23' 4.24"	31° 46' 53.59"
27			पटहरा	77° 22' 53.67"	31° 47' 0.63"
28			छतरदला	77° 22' 56.61"	31° 47' 10.1"
29			बजहरा	77° 22' 21.65"	31° 47' 11.62"
30			चन्यादि	77° 23' 10.97"	31° 47' 15.52"
31			मनहरा	77° 23' 6.74"	31° 47' 24.07"
32			खैन	77° 23' 50.12"	31° 47' 31.93"
33			गुहिडी	77° 22' 37.03"	31° 47' 45.35"
34			डार्थी	77° 22' 22.17"	31° 47' 48.75"
35			पचत्याहरा	77° 22' 53.81"	31° 47' 0.59"
36			तहयाहरा	77° 22' 29.08"	31° 47' 30.19"
37			सिहान	77° 22' 9.86"	31° 47' 23.70"
38			दारिदरला	77°-22'-12.91"	31° 47' 47.20"
39			तुंग	77° 22' 27.86"	31° 46' 52.25"
40			जलहरा	77° 22' 17.41"	31° 47' 15.33"

41				हरिनाल	77° 21'59.26"	31° 47' 48.81"			
42				बागीक्षाडी	77° 23' 23.36"	31° 48' 31.2"			
43				पटल	77° 22' 34.13"	31° 47' 40.89"			
44				शफ़ादी	77° 21' 44"	31° 47' 0.40"			
45				पचयारी	77° 22'25.98"	31° 46' 44.71"			
46				Kathal	77° 23' 28.41"	31° 48' 43.96"			
47				सदोनी	77° 23'40.54"	31° 48' 45.09"			
48				सारण	सारण	77° 19'42.62"	31° 47' 38.08"		
49					पहाड़ों का सिलसिला	77° 19'13.8"	31° 47' 48.85"		
50					मंझग्रां	77° 19' 6.48"	31° 47' 44.04"		
51					ढल्याहरा	77°18' 59.86"	31° 47' 31.47"		
52					गोरान	77° 18'58.02"	31° 47' 47.86"		
53					घाटसेरी	77° 19' 21.24"	31° 48' 1.02"		
54					कथ्यारी	77° 19' 31.09"	31° 48' 0.3"		
55					सैंधार	77°19' 21.19"	31° 48' 1.03"		
56					शेटीटोल	77°- 19' 21.97"	31° 47' 37.82"		
57					सरोह	77° 19' 29.12"	31° 47' 42.38"		
58					शिलार	77° 19' 26.17"	31° 47' 54"		
59					अस्तान	77°-19' 13.61"	31° 47' 41.49"		
60					छांचरा	77°-19' 38.94"	31° 47' 33.30"		
61					देऊन	मझान	मझन	77°25'47.91"	31°47'39.95"
62							मेल	77°25'1.23"	31°47'37.10"
63				लिचेन			77°25'2.46"	31°47'9.68"	
64				थचान			77°25'25.54"	31°46'55.18"	
65				कतवारी			77°26'5.29"	31°47'36.79"	
66				चेंगा			77°25'51.99"	31°46'51.43"	
67				बाह		बाह	77°25'23.23"	31°46'50.21"	
68						निहारनी	77°24'43.94"	31°46'54.09"	
69						सरयारी	77°23'59.31"	31°46'58.13"	
70						बनौगी	77°23'50.96"	31°47'35.21"	
71						ब्रेथा	77°23'46.79"	31°47'23.25"	
72						भजीमन	77°23'31.65"	31°47'25.52"	
73						जोथा	77°23'39.48"	31°46'49.92"	
74	सैंज	मारोर	लापाह	लापा		77° 25' 41.96"	31° 46' 14.57"		
75				धारा		77° 25' 31.15"	31° 46' 21.22"		
76		शंधार	बरशंधर	टिटहरी	77° 23'41.49"	31° 45' 32.09"			

77				बरशांघर	77° 23' 59.65"	31° 44' 58.12"
78			शंघर	धघरा	77° 22' 30.36"	31° 45' 23.23"
79				कटवाली	77° 22' 36.35"	31° 45' 25.33"
80				मदन	77° 22' 41.75"	31° 45' 37.20"
81				हुरचा	77° 22' 37.66"	31° 45' 47.47"
82				बिरसानगर	77° 22' 41.07"	31° 45' 57.23"
83				काहना	77° 23' 2.24"	31° 45' 51.33"
84				न्यूली	77° 22' 55.22"	31° 46' 18.86"
85				धराली	77° 23' 10.79"	31° 45' 9.69"
86				गोष्ठी	77° 23' 2.61"	31° 45' 20"
87				शेंगचा	77° 23' 19.59"	31° 45' 20.35"
88				धरपतहरा	77° 22' 54.18"	31° 45' 26.35"
89				पटहरा	77° 22' 53.27"	31° 45' 32.01"
90				कोटलू	77° 23' 0.12"	31° 46' 8.91"
91				धारा	77° 22' 36.35"	31° 45' 25.33"
92				सुंदरनगर	77° 23' 27.25"	31° 44' 39.64"
93				लोहट	77° 22' 27.80"	31° 45' 43.34"
94			सुचाइन	सुचैन	77° 21' 35.74"	31° 45' 15.17"
95				गरशैड़ा	77° 21' 43.72"	31° 45' 13.83"
96				नरवाली	77° 21' 45.51"	31° 45' 23.81"
97				सेरी	77° 21' 30.20"	31° 45' 24.85"
98				पुपना	77° 21' 36.88"	31° 45' 30.29"
99				रोपा	77° 21' 39.73"	31° 45' 56.76"
100				माशला	77° 21' 43.65"	31° 45' 37.97"
101				तुंगरू	77° 21' 35.79"	31° 45' 37.45"
102				मेहरा	77° 21' 59.10"	31° 45' 16.99"
103	तीर्थन	गुशैनी	गुशैणी	दारी	77° 24' 40"	31° 38' 44"
104				छमनी	77° 26' 24.55"	31° 38' 58.90"
105				जवाल	77° 24' 8.4"	31° 35' 51.9"
106				नागलारी	77° 25' 23.7"	31° 38' 36.80"
107				गुशैणी	77° 25' 6.1"	31° 38' 27.2"
108				धार	77° 28' 21.6"	31° 40' 45.90"
109				शुंगचा	77° 27' 7.62"	31° 40' 8.29"
110				दारान	77° 27' 8.57"	31° 40' 29.20"
111				गंधार	77° 26' 9.19"	31° 39' 27.6"
112				शालिंग	77° 27' 0.7"	31° 39' 48.6"

113			तलिंगा	77° 27' 20.5"	31° 39' 51.2"
114			कुल्थी	77° 25' 7.55"	31° 38' 54.8"
115			रूपजानी	77° 25' 9.87"	31° 38' 48.7"
116			पेखारी	77° 25' 8.15"	31° 38' 9.59"
117			बरहुली	77° 25' 8.82"	31° 39' 35.3"
118			लगचा	77° 26' 26.6"	31° 39' 49.8"
119			पहाड़ों का सिलसिला	77° 26' 7.80"	31° 40' 12.3"
120			बायती	77° 26' 8.46"	31° 39' 9.37"
121			नही	77° 26' 6.92"	31° 39' 55.1"
122			नादर	77° 24' 8.85"	31° 39' 0.59"
123			नदहरा	77° 24' 2.08"	31° 38' 9.5"
124			मनहर	77° 26' 23.40"	31° 38' 7.76"
125		श्रीकोट	अना	77° 24' 53.4"	31° 40' 48.6"
126			शेरेरा	77° 24' 59.9"	31° 40' 58.9"
127			धारा	77° 24' 9.51"	31° 41' 51.01"
128			हूरी	77° 24' 9.53"	31° 41' 50.3"
129			गहिधर	77° 23' 26.8"	31° 39' 7.33"
130			रागूट	77° 24' 21.8"	31° 40' 40"
131			कानन	77° 24' 30"	31° 40' 29.8"
132			शनार	77° 23' 57.4"	31° 40' 8.29"
133			देहुरी	77° 22' 9.58"	31° 38' 38.2"
134			थानाच	77° 24' 16.6"	31° 40' 8.02"
135			पेचकना	77° 23' 9.1"	31° 40' 9.92"
136		टिंडेर	कुआँचौपर	77° 27' 19.20"	31° 39' 4.60"
137			कौँचा	77° 27' 19.20"	31° 39' 18.01"
138			खारोंगचा	77° 28' 21.1"	31° 39' 50.1"
139			डिंगचा	77° 27' 40.9"	31° 39' 12.5"
140			झलेहडी	77° 27' 42.1"	31° 39' 5.7"
141			tinder	77° 27' 4.9"	31° 38' 50.1"
142			थारी	77° 27' 42.3"	31° 39' 9.7"
143			त्रिंगचा	77° 26' 51.3"	31° 38' 21.2"
144			झन्यार	77° 26' 42.3"	31° 38' 26"
145			ब्रेलंगा	77° 26' 25.8"	31° 38' 16.4"
146			रोपा	77° 27' 11.9"	31° 38' 44.6"
147	बाथड़	चालोरी बीट	कटलचा	77° 28' 5.52"	31° 35' 9.52"
148			शारुंगर	77° 27' 9.97"	31° 35' 9.26"

149				दराज	77° 28' 12.9"	31° 35' 35.90"
150				शील	77° 27' 53.7"	31° 35' 8.83"
151				गरुली	77° 26' 6.4"	31° 35' 9.22"
152				परवारी	77° 26' 7.12"	31° 36' 13.4"
153				भुंजट	77° 26' 19.6"	31° 36' 46.8"
154				कंधारी	77° 25' 7.29"	31° 36' 6.23"
155				कि एक	77° 27' 8.3"	31° 36' 18.3"
156			मशीयर	बठाड़	77° 28' 55.8"	31° 36' 2.2"
157				सरुत	77° 29' 8.6"	31° 35' 43.60"
158				घालयाद	77° 29' 56.7"	31° 36' 14"
159				टीला	77° 30' 11.5"	31° 36' 22.5"
160				ठाणेगढ़	77° 30' 3.5"	31° 36' 45.5"
161				मशियार	77° 30' 29.8"	31° 36' 48"
162				मझली	77° 30' 29.8"	31° 36' 48"
163				कामदा	77° 30' 44.6"	31° 36' 57.8"
164				घलिंगचा	77° 30' 57.4"	31° 36' 34.6"
165				कांधी	77° 30' 40.3"	31° 36' 55.2"
166				घडिंगचा	77° 30' 27.3"	31° 36' 22.9"
167			बाथड़	रिखली	77° 26' 23.8"	31° 37' 8.63"
168				बग्गराजानी	77° 26' 31.1"	31° 37' 8.85"
169				मनोनी	77° 26' 45"	31° 37' 8.36"
170				नराला	77° 26' 60.4"	31° 37' 6.54"
171				धाराशालिंगा	77° 27' 6.4"	31° 37' 7.4"
172				भलयाठेर	77° 27' 34.7"	31° 36' 37.4"
173				धार	77° 26' 26.7"	31° 37' 36.5"
174				फरयादी	77° 26' 26.6"	31° 37' 32.5"
175				बरनागी	77° 27' 25.9"	31° 36' 35"
176				बठाड़	77° 28' 51.6"	31° 36' 5.6"
177				रंगचानाल	77° 28' 36"	31° 36' 11.2"
178				बुझार	77° 28' 9.5"	31° 36' 17.5"
179				दलयाला	77° 28' 1"	31° 36' 27.3"
180				धामनाल	77° 27' 58.4"	31° 36' 24.7"
181				तुंग	77° 27' 42.1"	31° 36' 31.7"
182				बेहाली	77° 26' 48.3"	31° 37' 3.4"
183				नागधार	77° 28' 14.3"	31° 36' 27.7"
184				धराल	77° 28' 47.5"	31° 36' 10.4"

185				नैनी	77° 28' 16.5"	31° 36' 56.2"
186				मझाटन	77° 28' 40"	31° 36' 56.6"
187				चिपिनी	77° 28' 51.3"	31° 36' 51.1"

अनुलग्नक -V**की गई कार्रवाई रिपोर्ट का प्रारूप:-**

1. बैठकों की संख्या और तिथि
2. बैठक के कार्यवृत्त: मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक का कार्यवृत्त अलग अनुलग्नक में संलग्न हैं:
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति;
4. भूमि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सारांश: विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जा सकता है:
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश, विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जा सकता है:
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित नहीं की गई क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश। विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जा सकता है:
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज शिकायतों का सारांश:
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला:

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd April, 2026

S.O. 2052(E).—The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi- 110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Great Himalayan National Park Conservation Area (GHNPCA) encompassing an area of 905.4 square kilometres, comprises of Great Himalayan National Park (754.40 square kilometre), Sainj Wildlife Sanctuary (90 square kilometre) and Tirthan Wildlife Sanctuary (61 square kilometre) is situated in Banjar Sub-division of Kullu district in Himachal Pradesh;

AND WHEREAS the Great Himalayan National Park Conservation Area which is characterized by high alpine peaks, alpine meadows and riverine forests was inscribed into the list of UNESCO World Heritage Sites on 25th June, 2014 and harbours rich floral diversity comprising 128 families, 427 genera and 832 plant species (Angiosperms- 794 species, Gymnosperms- 11 species and Ferns- 27 species). It is habitat to 34 out of the 47 medicinal plant taxa categorized as Threatened in the State of Himachal Pradesh (Vulnerable- 12, Endangered- 17 and Critically Endangered- 5). Biodiversity surveys conducted during the past decade have recorded 31 mammal species, 224 bird species, 12 reptile species, 9 amphibian species and 125 insect species. The National Park falls within one of the globally important Endemic Bird Areas (EBA- D02: Western Himalaya), with 224 bird species recorded;

AND WHEREAS the area provides habitat to key faunal and floral symbols of the Himachal Pradesh State, namely the *Tragopan melanocephalus* (State Bird- Western Tragopan), *Panthera uncia* (State Animal- Snow Leopard), *Rhododendron campanulatum* (State Flower- Pink Rhododendron) and *Cedrus deodara* (State Tree- Deodar) and approximately 10 per cent of the total wild population of Western Tragopan is reported to inhabit the GHNPCA;

AND WHEREAS the various flora species recorded in these protected areas includes Deodar (*Cedrus deodara*), Blue Pine (*Pinus wallichiana*), Chir Pine (*Pinus roxburghii*), Himalayan Spruce (*Picea smithiana*), Fir (*Abies pindrow*), Rakhai (*Taxus baccata*), Mohru (*Quercus dilatata*), Kharshu (*Q. semecarpifolia*), Banj (*Q. leucotrichophora*), Horse Chestnut (*Aesculus indica*), Walnut (*Juglans regia*), Kosh (*Alnus nepalensis*), Buransh (*Rhododendron arboreum*), Pink Buransh (*R. campanulatum*), Himalayan Poplar (*Populus ciliata*), *Ilex diphylla*, *Sorbaria tomentosa*, *Prinsepia utilis*, *Arundinaria falcata*, *Corylus jacquemontii*, *Iris lactea*, *Sarcococca saligna*, *Carpinus viminea*, *Berberis lycium*, *B. aristata*, *Viburnum spp.*, *Acer spp.*, *Hippophae spp.*, *Valeriana jatamansi*, *Dactylorhiza hatagirea*, *Taxus baccata*, *Leycesteria formosa*, etc.;

AND WHEREAS the important faunal species found in the area, including several endangered and Himalayan endemic species comprises of Snow Leopard (*Panthera uncia*), Common Leopard (*Panthera pardus*), Himalayan Serow (*Capricornis sumatraensis thar*), Himalayan Tahr (*Hemitragus jemlahicus*), Goral (*Nemorhaedus goral*), Black Bear (*Ursus thibetanus*), Musk Deer (*Moschus moschiferus*), Brown Bear (*Ursus arctos*), Himalayan Yellow Throated Marten (*Martes flavigula*), Monkey (*Macaca mullata*), Langur (*Semnopithecus ajax*), Jackal (*Canis aureus*), Blue Sheep (*Pseudois nayaur*), Red Fox (*Vulpes vulpes*), Giant Indian Flying Squirrel (*Petaurista philippensis*), Western Tragopan (*Tragopan melanocephalus*), Cheer (*Catreus wallichii*), Monal (*Lophophorus impegenus*), Koklas (*Pucrasia macrolopha*), Kaleej (*Lophura leucomelana*), Red Jungle Fowl (*Gallus gallus*), Snow Partridge (*Lerwa lerwa*), Hill Partridge (*Arborophila torqueola*), Himalayan Snowcock (*Tetragallus himalayensis*), White-browed Shortwing (*Brachypteryx montana*), Little Pied Flycatcher (*Ficedula westermanni*), Rufous-vented Tit (*Parus rubidiventris*), Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*), Himalayan Griffon (*Gyps himalayensis*), Lammergeier (*Gypaetus barbatus*), Golden Eagle (*Aquila chrysaetos*), Common Buzzard (*Buteo buteo*), Eurasian Sparrowhawk (*Accipiter nisus*), Scaly-bellied Woodpecker (*Picus squamatus*), Himalayan Woodpecker (*Dendrocopos himalayensis*), Great Barbet (*Megalaima virens*), Collared Owlet (*Glaucidium brodiei*), Tawny Owl (*Strix aluco*), Mountain Scops-Owl (*Otus spilocephalus*), Eurasian Hoopoe (*Upupa epops*) etc.;

AND WHEREAS it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary which is specified in paragraph 1 of this notification around the Great Himalayan National Park Conservation Area as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 0 to 10.63 kilometre around the boundary of Great Himalayan National Park, Sainj and Tirthan Wildlife Sanctuaries in the State of Himachal Pradesh as the Great Himalayan National Park Conservation Area Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) the extent of Eco-Sensitive Zone shall vary from 0 to 10.63 kilometre around the boundary of Great Himalayan National Park Conservation Area encompassing

an area of 326.6985 square kilometre. An extent of 0 kilometre has been proposed due to common boundary with Kanawar and Rupri Bhaba Wildlife Sanctuaries, Pin Valley and Khirganga National Parks. The Eco-sensitive Zone extent is provided in table below:

North	0 kilometre
North- East	0 kilometre
East	0 kilometre
South-East	1 kilometre
South	1 kilometre
South-West	10.63 kilometre
West	9.56 kilometre
North-West	2.77 kilometre

- (2) The boundary description of Eco-sensitive Zone is appended as Annexure- I.
- (3) The map of the Eco-Sensitive Zone along with boundary details is appended as Annexure-II
- (4) The geo-coordinates of the protected areas and its Eco-sensitive Zone are appended as Annexure-III.
- (5) The list of 187 villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. —

- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:
 - i. Environment;
 - ii. Forest and Wildlife;
 - iii. Urban Development;
 - iv. Rural Development;
 - v. Tourism;
 - vi. Revenue;
 - vii. Agriculture;
 - viii. Animal Husbandry;
 - ix. Himachal Pradesh State Pollution Control Board;
 - x. Irrigation and Flood Control;
 - xi. Municipality and Panchayati Raj;
 - xii. Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.** — The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. —

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

- i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- iii. Small scale industries not causing pollution;
- iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- v. Promoted activities given under paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.** — The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) Tourism or Eco-tourism.** —
- a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;
 - b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

- c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;
- d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;
- e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.** — All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.**— Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and as amended from time to time.
- (7) **Air pollution.**— Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.** — Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.** — Disposal and Management of solid wastes shall be as under: -
 - a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
 - b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** — Bio medical waste management shall be as under:
 - a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

- b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. — The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management. — The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. — The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. — The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. — Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units. —

- a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016 as amended from time to time, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. — The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone. —

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under and other notifications, laws and Acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely.-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order(s) of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03rd June, 2022. IA No. 131377 of 2022 judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023 and subsequent judgment dated the 23rd July 2025 in I.A Nos. 162023, 162034, 162154 and 162155 of 2025 or any further orders regarding mining.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	Establishment of new and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial Use of firewood	Prohibited.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities; Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated wastewater. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable law.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Air, vehicular and noise pollution.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

- 5. Monitoring Committee.** — The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Conservator or Chief Conservator of Forests of concerned forest circle	Chairman, <i>ex-officio</i> ;
2.	A representative of a non-governmental organization working in the field of environment or wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years	Member
3.	An expert in the area of ecology and environment from a reputed University or Institution to be nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years.	Member
4.	District Officer, Town and Country Planning Department	Member, <i>ex-officio</i> ;
5.	Senior Town Planner of the area	Member, <i>ex-officio</i> ;
6.	A representative from Department of Animal Husbandry, Government of Himachal Pradesh	Member, <i>ex-officio</i> ;
7.	A representative from Himachal Pradesh State Biodiversity Board	Member, <i>ex-officio</i> ;
8.	A representative from Himachal Pradesh State Pollution Control Board	Member, <i>ex-officio</i> ;
9.	Divisional Forest Officer of concerned forest division	Member Secretary, <i>ex officio</i> ;

6. Functions of Monitoring Committee. —

- (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.
- (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in Annexure-V, appended to this notification.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

- 7. Additional measures.** — The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. **Orders, Supreme Court, etc.** — The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/13/2016-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist-'G'

ANNEXURE- I**Boundary Description of the Eco-sensitive zone around Great Himalayan National Park Conservation Area**

- North:-** The boundary of ESZ follows the geo-coordinates E 077°29'52.200" & N 31°55'30.187", to geo-coordinates E 077°25'57.227" & N 31°55'3.618", at width of 1 km, thereafter a break contiguity with Kanawar Wildlife Sanctuary and further geo-coordinates E 077°24'28.678" & N 31°54'4.550" to coordinates E 077°21'29.502" & N 31°51'40.371" at width of 1 km in Parvati Division in the North-west. The boundary then follows upto the geo-coordinates E 077°17'17.043" and 31°48'44.208" further in the North-west.
- East: -** On eastern front, the area completely touches the Pin Valley National Park and Rupri Bhabha Wildlife Sanctuary. On South eastern side falling in Rampur Forest division, a one-kilometer wide strip of ESZ follows the geo-coordinates E 077°45'24.237" & N 31°42'29.738", E 077°41'9.511" & N 31°41'41.627" and then upto E 077°39'31.210" & N 31°39'34.734".
- South: -** In the South, the boundary of ESZ runs from the geo-coordinates E 077°39'31.210" & N 31°39'34.734" in the South-East through E 077°32'45.024" & N 31°34'57.572" South of Tirthan Wildlife Sanctuary upto the geo-coordinates E 077°24'47.841" & N 31°35'7.520" in South-West.
- West: -** The boundary in the West follows the geo-coordinates E 077°20'21.405" & N 31°46'52.745" through the coordinates E 077°20'43.303" & N 31°44'27.864" and then through E 077°23'4.745" & N 31°39'50.923" and E 077°22'45.104" & N 31°38'44.025" upto geo-coordinates E 077°24'47.841" & N 31°35'7.520" in South-West.

Physical Features:**Description of area proposed for Eco Sensitive Zone:**

Division	S. No.	Type	Name of Forest	Compartment	Area (sq. Km)
GHNP	1	RF	R/16 Gattipat	Ia, Ib, II	1.9343
	2		R/4 Kandhari	Ia, Ib, IIa, IIb	2.3824
	3		R/7 Deo Kanda	Ia, Ib, Ic, II	2.6548
	4		R/5 Shochli	I, II	0.9226
				Sub Total	7.8941
	1	DPF Ist Class Forest	1/44 Saranghar	I, II, III	1.02
	2		1/45 Thanauhr	Ia, Ib, II	4.9089
	3		1/48 Ratina	Whole	0.5989
	4		1/49 Tandidhar	I, II, III	1.7118
	5		1/50 Chanar	I, II, IIIa, IIIb, IV	1.3112
	6		1/51 Soaribir	Whole	0.1457
	7		1/52 Dolnu	Ia, Ib, II	4.6902
	8		1/34 Dashmani	Ia, Ib, II	2.4403
	9		1/46 Panudhar	Whole	0.5342
	10		1/47 Ranga	I, II	0.7689
	11		1/48 Aotidhar	I, II	6.3941

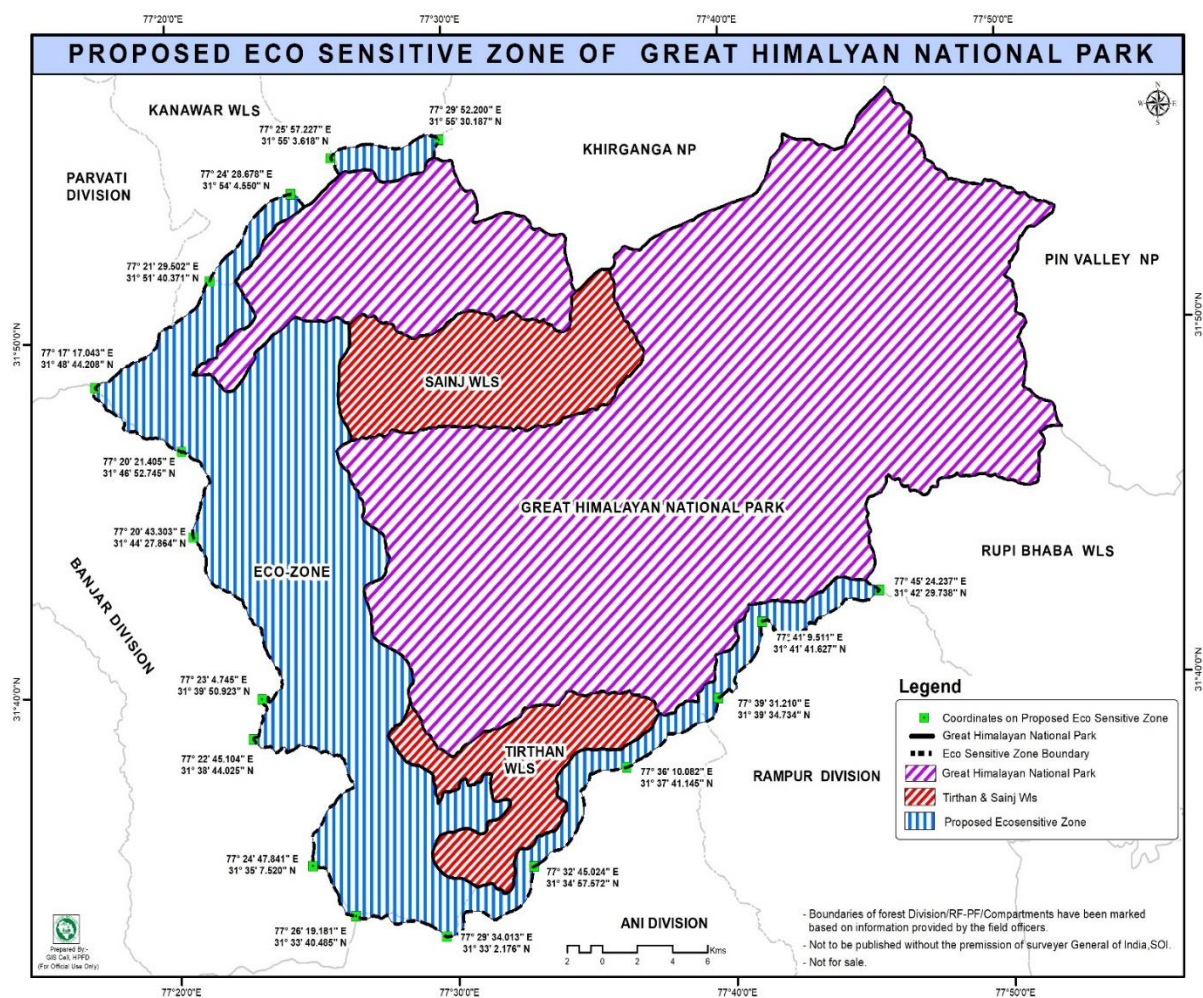
	12		1/31 Chalori	Iai, Iaii, Ib, Ila, Iibi, Iibii, Iibiii, Iibiv, Iibv	3.1201
	13		1/32 Dimru	Ia, Ib, II	1.8818
	14		1/33 Bimu	Iai, Iaii, Ib, Ila, Iib	1.7604
				Sub Total	31.2865
	1	DPF IInd Class Forest	2/24 Tiwa	Whole	6.4103
	2		2/25 Mandroun	Whole	5.6818
	3		2/26 Drashar	Whole	8.6657
	4		2/29 Sawankanda	Whole	9.3727
	5		2/41 Harinal	I, Ila, Iib, Iic, IId, Iie	5.3378
	6		2/42 Jagnahu	I, Ila, Iib, Iic, IId, Iie, IIf, IIg, IIh, IIi, IIj	8.1342
	7		2/43 Mandrachi	Ia, Ib, Ic, Id, Ila, Iib, Iic, IId, Iie, III	8.0937
	8		2/44 Sarakalaon	Ia, Ib, Ila, Iib, Iic	2.6751
	9		2/45 Tispur	Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, Ila, Iib, Iic, IId, Iie, IIf, III, IV	14.1883
	10		2/26 Khaninal	Ia, Ib, II	1.7846
	11		2/27 Guninal	Ia, Ib, II	2.1731
	12		2/28 Kulchi	Ia, Ib, Ic, II	2.8328
	13		2/29 Malora	Whole	1.8656
	14		2/30 Kachinga	Whole	3.9539
	15		2/31 Dupanga	Whole	0.4006
	16		2/32 Kharshot	Whole	1.295
	17		2/30 Gandiol	Whole	10.538
	18		2/31 Nanti-Kala	Whole	1.0926
			2/16 Bhunjat	Ia, Ib, II, III, IV	3.8323
			2/17 Shirdunga	Iai, Iaii, Ibi, Ibii, Ibiii, Ibiv, II	4.4799
			2/18 Bung	whole	13.5673
				Sub total	116.3753
	1	III Class Forest	Suchain		0.2584
	2		Ropa		0.2225
	3		Birashanghar		0.3237
	4		Shangarh		0.2833
	5		Kuli		1.3759
	6		Titri		0.9498

	7		Barshanghar		1.1736
	8		Dhara		0.9712
	9		Lapah		0.8498
	10		Kashari		2.7519
	11		Kandhari		0.5867
	12		Pachyari		2.3885
	13		Karaihla		3.885
	14		Riara		0.8013
	15		Pashi		2.0429
	16		Bhupan		0.3237
	17		Ghat		0.6531
	18		Dhalyara		1.4164
	19		Pekhridar		2.2662
	20		Sungcha		2.3582
	21		Bungdhar		1.6091
	22		Kanaun		1.2832
	23		Tirthan		53.23
	24		Bah		1.4974
	25		Majhan		0.8296
	26		Mail		2.3401
	27		Guruli		0.8498
	28		Shruna		0.607
	29		Ghalyad		1.4974
	30		Dachuti		3.3588
	31		Chipni		1.5378
	32		Barelanga		0.8093
	33		Kharungcha		0.768
	34		Bathad		0.607
	35		Mashiar		4.2086
	36		Faryadi		2.0706
	37		Manoni		1.1932
	38		Dingcha		2.0234
	39		Shill		6.070
				Sub Total	112.2724
DFO Ani	1	PF	Dwaridanda		25.412
			Rachhokhari 2/18	C1 and C2	1.506 & 1.914
			Dadai 2/17	C1, C2 & C3	2.109, 1.9002 & 2.14
			Banagi 2/16	C4	3.619
				Sub Total	38.6002
DFO Rampur	1		DPF Nanti Paat		13.77
				Sub Total	13.77
DFO Parvati	1	PF	2/21 Hargrain	C4	4

	2	PF	2/6 Bandang	C6	2.5
				Sub Total	6.5
				G. Total	326.6985

ANNEXURE-II

Map showing Protected Areas and its integrated Eco-sensitive Zone



ANNEXURE- III

Table A: Geo-coordinates of prominent locations of Great Himalayan National Park Conservation Area

Sl. No.	Point Code	Latitude	Longitude
1	A	31° 53' 47.904" N	77° 25' 11.931" E
2	B	31° 54' 2.362" N	77° 31' 1.811" E
3	C	31° 51' 44.267" N	77° 35' 38.542" E
4	D	31° 53' 3.908" N	77° 38' 59.744" E
5	E	31° 55' 22.974" N	77° 42' 16.355" E
6	F	31° 54' 1.169" N	77° 48' 12.021" E
7	G	31° 53' 11.482" N	77° 52' 2.671" E
8	H	31° 49' 56.030" N	77° 50' 54.614" E
9	I	31° 46' 59.014" N	77° 52' 6.605" E
10	J	31° 45' 22.381" N	77° 50' 39.621" E
11	K	31° 45' 21.890" N	77° 47' 33.986" E
12	L	31° 44' 9.940" N	77° 45' 8.325" E
13	M	31° 42' 45.845" N	77° 43' 44.170" E
14	N	31° 42' 11.217" N	77° 40' 40.639" E
15	O	31° 40' 46.994" N	77° 39' 27.846" E
16	P	31° 39' 11.027" N	77° 37' 22.158" E
17	Q	31° 38' 13.827" N	77° 35' 18.218" E
18	R	31° 34' 14.860" N	77° 31' 36.953" E
19	S	31° 39' 40.862" N	77° 28' 25.340" E
20	T	31° 41' 40.604" N	77° 27' 6.762" E
21	U	31° 44' 24.107" N	77° 27' 34.683" E
22	V	31° 47' 6.143" N	77° 26' 28.851" E
23	W	31° 35' 10.068" N	77° 29' 8.593" E
24	X	31° 37' 35.035" N	77° 31' 18.468" E
25	Y	31° 36' 48.504" N	77° 29' 21.209" E
26	Z	31° 38' 43.809" N	77° 27' 35.712" E
27	A1	31° 50' 24.831" N	77° 26' 29.676" E
28	A2	31° 50' 36.179" N	77° 24' 30.461" E
29	A3	31° 49' 3.159" N	77° 20' 48.766" E
30	A4	31° 51' 31.241" N	77° 22' 32.323" E

Table B: Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone prominent points

Sl. No.	Point Code	Latitude	Longitude
1	A	31° 42' 29.738" N	77° 45' 24.237" E
2	B	31° 41' 41.627" N	77° 41' 9.511" E
3	C	31° 39' 34.734" N	77° 39' 31.210" E
4	D	31° 34' 57.572" N	77° 32' 45.024" E
5	E	31° 33' 2.176" N	77° 29' 34.013" E
6	F	31° 33' 40.485" N	77° 26' 19.181" E
7	G	31° 35' 7.520" N	77° 24' 47.841" E
8	H	31° 38' 44.025" N	77° 22' 45.104" E
9	I	31° 39' 50.923" N	77° 23' 4.745" E
10	J	31° 44' 27.864" N	77° 20' 43.303" E
11	K	31° 46' 52.745" N	77° 20' 21.405" E
12	L	31° 48' 44.208" N	77° 17' 17.043" E
13	M	31° 38' 46.051" N	77° 22' 45.141" E
14	N	31° 51' 40.371" N	77° 21' 29.502" E
15	O	31° 54' 4.550" N	77° 24' 28.678" E
16	P	31° 55' 3.618" N	77° 25' 57.227" E
17	Q	31° 55' 30.187" N	77° 29' 52.200" E

ANNEXURE- IV

List of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with its geo-coordinates

Sr. No.	Name of Range	Name of Block	Name of Beat	Name of village	Longitude (E)	Latitude (N)
1	Jiwanal	Kunder	Pashi	Sharan	77° 18' 10.54"	31° 48' 52.75"
2				Pashi	77° 19' 40.91"	31° 48' 29.52"
3				Khanyari	77° 19' 56.8"	31° 48' 30.80"
4				Kharongcha	77° 19' 51.8"	31° 49' 1"
5				Nalti	77° 21' 10.97"	31° 48' 9.92"
6				Kunder	77° 21' 56.68"	31° 50' 6.14"
7				Majhan	77° 21' 43.77"	31° 50' 48.38"
8				Majharna	77° 24' 8.77"	31° 49' 24.40"
9			Bhupan	Bhupan	77° 18' 27.8"	31° 48' 40"
10				Sharan	77° 18' 32.01"	31° 48' 22.1"
11				Kamptan	77° 18' 10.54"	31° 48' 52.75"
12		Raila	Neuli	Neuli	77° 22' 55.68"	31° 46' 21.43"
13				Dharmeda	77° 21' 11.05"	31° 46' 25.23"
14				Karchila	77° 20' 10.4"	31° 47' 26.94"
15				Jyalu	77° 21' 58.11"	31° 46' 24.11"
16				Satesh	77° 22' 28.08"	31° 46' 17.39"
17				Goad	77° 22' 56.56"	31° 46' 29.89"
18				Keoli	77° 22' 48.83"	31° 46' 24.53"
19				Bihali	77° 20' 0.09"	31° 47' 37.15"
20				Nunuribali	77° 21' 51.60"	31° 46' 3.30"
21			Shensher	Jungla	77° 23' 23.63"	31° 46' 51.70"
22				Seri	77° 23' 19.98"	31° 46' 51.16"
23				bandlu Duar	77° 23' 15.17"	31° 46' 52.27"
24				Bharogi	77° 23' 1.58"	31° 46' 58.94"
25				Rehada	77° 23' 11.23"	31° 46' 43.67"
26				Ramahidi	77° 23' 4.24"	31° 46' 53.59"
27				Patahra	77° 22' 53.67"	31° 47' 0.63"
28				Chhatardala	77° 22' 56.61"	31° 47' 10.1"
29				Bajahra	77° 22' 21.65"	31° 47' 11.62"
30				Chanyadi	77° 23' 10.97"	31° 47' 15.52"
31				Manahra	77° 23' 6.74"	31° 47' 24.07"
32				Khain	77° 23' 50.12"	31° 47' 31.93"
33				Guhidi	77° 22' 37.03"	31° 47' 45.35"

34			Dartha	77° 22' 22.17"	31° 47' 48.75"
35			Pachtyahra	77° 22' 53.81"	31° 47' 0.59"
36			Tahyahra	77° 22' 29.08"	31° 47' 30.19"
37			Sihan	77° 22' 9.86"	31° 47' 23.70"
38			Daridarla	77°-22'-12.91"	31° 47' 47.20"
39			Tungh	77° 22' 27.86"	31° 46' 52.25"
40			Jalahra	77° 22' 17.41"	31° 47' 15.33"
41			Harinal	77° 21' 59.26"	31° 47' 48.81"
42			Bagikshadi	77° 23' 23.36"	31° 48' 31.2"
43			Patal	77° 22' 34.13"	31° 47' 40.89"
44			Shafadi	77° 21' 44"	31° 47' 0.40"
45			Pachyari	77° 22' 25.98"	31° 46' 44.71"
46			Kathal	77° 23' 28.41"	31° 48' 43.96"
47			Sadoni	77° 23' 40.54"	31° 48' 45.09"
48		Saran	Saran	77° 19' 42.62"	31° 47' 38.08"
49			Ghat	77° 19' 13.8"	31° 47' 48.85"
50			Manjhgran	77° 19' 6.48"	31° 47' 44.04"
51			Dhalyahra	77° 18' 59.86"	31° 47' 31.47"
52			Goran	77° 18' 58.02"	31° 47' 47.86"
53			Ghatseri	77° 19' 21.24"	31° 48' 1.02"
54			Kathyari	77° 19' 31.09"	31° 48' 0.3"
55			Saindhar	77° 19' 21.19"	31° 48' 1.03"
56			Shetitol	77°- 19' 21.97"	31° 47' 37.82"
57			Saroh	77° 19' 29.12"	31° 47' 42.38"
58			Shilar	77° 19' 26.17"	31° 47' 54"
59			Astan	77°-19' 13.61"	31° 47' 41.49"
60			Chhanchra	77°-19' 38.94"	31° 47' 33.30"
61	Deun	Majhan	Majhan	77°25'47.91"	31°47'39.95"
62			Mail	77°25'1.23"	31°47'37.10"
63			Litchen	77°25'2.46"	31°47'9.68"
64			Thachan	77°25'25.54"	31°46'55.18"
65			Katwari	77°26'5.29"	31°47'36.79"
66			Chenga	77°25'51.99"	31°46'51.43"
67		Bah	Bah	77°25'23.23"	31°46'50.21"
68			Niharni	77°24'43.94"	31°46'54.09"
69			Saryari	77°23'59.31"	31°46'58.13"
70			Banaugi	77°23'50.96"	31°47'35.21"
71			Bretha	77°23'46.79"	31°47'23.25"
72			Bhajiman	77°23'31.65"	31°47'25.52"

73				Jotha	77°23'39.48"	31°46'49.92"
74	Sainj	Maror	Lapah	Lapah	77° 25' 41.96"	31° 46' 14.57"
75				Dhara	77° 25' 31.15"	31° 46' 21.22"
76		Shanghar	Barshanghar	Titri	77° 23'41.49"	31° 45' 32.09"
77				Barshanghar	77° 23' 59.65"	31° 44' 58.12"
78		Shanghar	Shanghar	Dhaghra	77° 22' 30.36"	31° 45' 23.23"
79				Katwali	77° 22' 36.35"	31° 45' 25.33"
80				Madana	77° 22' 41.75"	31° 45' 37.20"
81				Hurcha	77° 22' 37.66"	31° 45' 47.47"
82				Birashanghar	77° 22' 41.07"	31° 45' 57.23"
83				Kahna	77° 23' 2.24"	31° 45' 51.33"
84				Neuli	77° 22' 55.22"	31° 46' 18.86"
85				Dharali	77° 23' 10.79"	31° 45' 9.69"
86				Goshti	77° 23' 2.61"	31° 45' 20"
87				Shengcha	77° 23' 19.59"	31° 45' 20.35"
88				Dharapatahra	77° 22' 54.18"	31° 45' 26.35"
89				Patahra	77° 22' 53.27"	31° 45' 32.01"
90				Kotlu	77° 23' 0.12"	31° 46' 8.91"
91				Dhara	77° 22' 36.35"	31°45' 25.33"
92				Sundernager	77° 23' 27.25"	31°44' 39.64"
93				Lohat	77° 22' 27.80"	31°45' 43.34"
94			Suchain	Suchain	77° 21' 35.74"	31°45' 15.17"
95				Garshaida	77° 21' 43.72"	31° 45' 13.83"
96				Narvali	77° 21' 45.51"	31°45' 23.81"
97				Seri	77° 21' 30.20"	31° 45' 24.85"
98				Pupna	77° 21' 36.88"	31° 45'30.29"
99				Ropa	77° 21' 39.73"	31°45' 56.76"
100				Mashla	77° 21' 43.65"	31° 45' 37.97"
101				Tungru	77° 21' 35.79"	31° 45'37.45"
102				Mehra	77° 21' 59.10"	31° 45' 16.99"
103	Tirthan	Gushaini	Gushaini	Dari	77° 24' 40"	31°38' 44"
104				Chhamni	77° 26' 24.55"	31° 38' 58.90"
105				Jabal	77° 24' 8.4"	31° 35' 51.9"
106				Naglari	77° 25' 23.7"	31° 38' 36.80"
107				Gushaini	77° 25' 6.1"	31°38' 27.2"
108				Dhar	77° 28' 21.6"	31° 40' 45.90"
109				Shungcha	77° 27' 7.62"	31° 40' 8.29"
110				Daran	77° 27' 8.57"	31° 40' 29.20"
111				Gandhar	77° 26' 9.19"	31° 39' 27.6"

112			Shalinga	77° 27' 0.7"	31° 39' 48.6"
113			Talinga	77° 27' 20.5"	31° 39' 51.2"
114			Kulthi	77° 25' 7.55"	31° 38' 54.8"
115			Rupajani	77° 25' 9.87"	31° 38' 48.7"
116			Pekhari	77° 25' 8.15"	31° 38' 9.59"
117			Barhuli	77° 25' 8.82"	31° 39' 35.3"
118			Lagcha	77° 26' 26.6"	31° 39' 49.8"
119			Ghat	77° 26' 7.80"	31° 40' 12.3"
120			Byti	77° 26' 8.46"	31° 39' 9.37"
121			Nahi	77° 26' 6.92"	31° 39' 55.1"
122			Nadahr	77° 24' 8.85"	31° 39' 0.59"
123			Nadahara	77° 24' 2.08"	31° 38' 9.5"
124			Manhar	77° 26' 23.40"	31° 38' 7.76"
125		Shrikot	Anah	77° 24' 53.4"	31° 40' 48.6"
126			Sherera	77° 24' 59.9"	31° 40' 58.9"
127			Dhara	77° 24' 9.51"	31° 41' 51.01"
128			Huri	77° 24' 9.53"	31° 41' 50.3"
129			Gahidhar	77° 23' 26.8"	31° 39' 7.33"
130			Ragoot	77° 24' 21.8"	31° 40' 40"
131			Kanon	77° 24' 30"	31° 40' 29.8"
132			Shanar	77° 23' 57.4"	31° 40' 8.29"
133			Dehuri	77° 22' 9.58"	31° 38' 38.2"
134			Thanach	77° 24' 16.6"	31° 40' 8.02"
135			Pechkana	77° 23' 9.1"	31° 40' 9.92"
136		Tinder	Kuaunchauper	77° 27' 19.20"	31° 39' 4.60"
137			Kauncha	77° 27' 19.20"	31° 39' 18.01"
138			Kharongcha	77° 28' 21.1"	31° 39' 50.1"
139			Dingcha	77° 27' 40.9"	31° 39' 12.5"
140			Jhalehari	77° 27' 42.1"	31° 39' 5.7"
141			Tinder	77° 27' 4.9"	31° 38' 50.1"
142			Thari	77° 27' 42.3"	31° 39' 9.7"
143			Bringcha	77° 26' 51.3"	31° 38' 21.2"
144			Jhanyar	77° 26' 42.3"	31° 38' 26"
145			Brelanga	77° 26' 25.8"	31° 38' 16.4"
146			Ropa	77° 27' 11.9"	31° 38' 44.6"
147	Bathad	Chalori Beat	Katalcha	77° 28' 5.52"	31° 35' 9.52"
148			Sharunger	77° 27' 9.97"	31° 35' 9.26"
149			Daraj	77° 28' 12.9"	31° 35' 35.90"
150			Shill	77° 27' 53.7"	31° 35' 8.83"

151			Garuli	77° 26' 6.4"	31° 35' 9.22"
152			Parwari	77° 26' 7.12"	31° 36' 13.4"
153			Bhunjat	77° 26' 19.6"	31° 36' 46.8"
154			Kandhari	77° 25' 7.29"	31° 36' 6.23"
155			Thata	77° 27' 8.3"	31° 36' 18.3"
156		Mashiyar	Bathad	77° 28' 55.8"	31° 36' 2.2"
157			Sarut	77° 29' 8.6"	31° 35' 43.60"
158			Ghalayad	77° 29' 56.7"	31° 36' 14"
159			Tilla	77° 30' 11.5"	31° 36' 22.5"
160			Thanegad	77° 30' 3.5"	31° 36' 45.5"
161			Mashyar	77° 30' 29.8"	31° 36' 48"
162			Majhali	77° 30' 29.8"	31° 36' 48"
163			Kamada	77° 30' 44.6"	31° 36' 57.8"
164			Ghalingcha	77° 30' 57.4"	31° 36' 34.6"
165			Kandhi	77° 30' 40.3"	31° 36' 55.2"
166			Ghadingcha	77° 30' 27.3"	31° 36' 22.9"
167		Bathad	Rikhli	77° 26' 23.8"	31° 37' 8.63"
168			Baggrajani	77° 26' 31.1"	31° 37' 8.85"
169			Manoni	77° 26' 45"	31° 37' 8.36"
170			Narala	77° 26' 60.4"	31° 37' 6.54"
171			DharaShalinga	77° 27' 6.4"	31° 37' 7.4"
172			Bhalayather	77° 27' 34.7"	31° 36' 37.4"
173			Dhar	77° 26' 26.7"	31° 37' 36.5"
174			Farayadi	77° 26' 26.6"	31° 37' 32.5"
175			Barnagi	77° 27' 25.9"	31° 36' 35"
176			Bathad	77° 28' 51.6"	31° 36' 5.6"
177			RangchaNal	77° 28' 36"	31° 36' 11.2"
178			Bujhar	77° 28' 9.5"	31° 36' 17.5"
179			Dalayala	77° 28' 1"	31° 36' 27.3"
180			Dhamanal	77° 27' 58.4"	31° 36' 24.7"
181			Tung	77° 27' 42.1"	31° 36' 31.7"
182			Behali	77° 26' 48.3"	31° 37' 3.4"
183			Nagdhar	77° 28' 14.3"	31° 36' 27.7"
184			Dharal	77° 28' 47.5"	31° 36' 10.4"
185			Naini	77° 28' 16.5"	31° 36' 56.2"
186			Majhatan	77° 28' 40"	31° 36' 56.6"
187			Chipini	77° 28' 51.3"	31° 36' 51.1"

Annexure- V**Proforma of action taken report**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.